(c) All officers including those belonging to SC/ST who are within the normal zone of consideration and all SC/ST officers within the extended zone of consideration are being considered for promotion in accordance with the provisions contained in the Recruitment Rules.

(d) Does not arise.

Dr. Ambedkar Awas Yojana of DDA

1677. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under Dr. Ambedkar Awas Yojana 1989, of Delhi Development Authority (DDA) all registrants under this Yojana were to be provided houses within two years;

(b) whether it is also a fact that Dr. Ambedkar Awas Yojana 1989, has been kept in abeyance by DDA;

(c) if so, whether there is any proposal to revive this Yojana by DDA before Delhi Assembly Poll; and

(d) by when all registrants would be getting houses under this Yojana?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) No, Sir. According to the DDA, the allotment of flats to the registrants of LIG and Janta categories is already on However, the registrants of MIG category have not been allotted flats as the matter is subjudice.

(c) In view of reply to 'b' above, question does not arise.

(d) The allotment of houses to the registrants depends on availability of land, financial resources and services, such as water supply and electricity, to be provided by the concerned authorities.

पुल प्रहलादपुर में मकानों का अनधिकृत निर्माण

1678. **श्री राम नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरज कुंड रोड तथा तुगलकाबाद रेलवे लाइन के बीच की भूमि पर पुल प्रहलादपुर की अनधिकृत कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम की जमीन पर कितने मकानों का निर्माण हुआ है; यदि हाँ, तो उनके अनधिकृत निर्माण पर रोक न लगाए जाने के क्या कारण है और सरकार द्वारा इस *सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।*

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम ने इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने उपरोक्त कालोनी के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार पुल प्रहलादपुर में 165 पक्के ढांचे, 14 अर्द्ध पक्के ढांचे, 20 अस्थायी ढांचे, 45 चाहरदीवारियां और 15 पक्के वाणिज्यिक ढांचे अनधिकृत रूप से बने हुए थे । 165 पक्के ढांचों को छोड़कर सभी अनधिकृत निर्माणों को गिरा दिया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताये गए अनुसार पुराने पक्के ढांचों के संबंध में गिराने/हटाने की कार्यवाही पुलिस तथा अन्य अधिकरणों के परामर्श से विचाराधीन है । दिल्ली नगर निगम ने भी सूरज कुंड मार्ग में, दुकानों, कमरों आदि के रूप में बने 15 ढांचों, 5 थड़ों, 17 खोकों सहित 10 तन्दूरों और 2 चाहरदीवारों को हटा दिया है । अनधिकृत निर्माणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है । तथापि, लेकिन कभी-कभी इतनी अधिक अतिक्रमण की घटनायें हो जाती हैं कि उनकी रोकथाम के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के पास कर्मचारी नहीं होते, फलतः उन अतिक्रमणों के आगे बढ़ने से रोकने और हटाने में विलम्ब होता है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं । दिल्ली नगर निगम से भी ऐसी सूचना की प्रतीक्षा है ।

(ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार ये भूमि हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित है और उसके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है ।